रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33004/95 REGD. NO. D.L.—33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 291] नई दिल्ली, बुधवार, मई 24, 1995/ज्येष्ठ 3, 1917
No. 291] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 24, 1995/JYAISTHA 3, 1917

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 22 मई, 1995

का.आ. 461 (अ) :—भारत के राजपत्र में पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) खंड–3 के उपखंड (i) के अंतर्गत दिनांक 1–10–94 को प्रकाशित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के दिनांक 9-9-94 के का.आ.संख्या 2545 जो कि ग्राम पिपरिया, तहसील गुना, जिला गुना के संबंध में था, को निम्नानुसार पढ़ा जाये :—

राजपत्र के अनुसार			निम्न संशोधन के अनुसार पढ़ा जाये	
क्र.सं.	सर्वे संख्या	क्षेत्र-हेक्टेयर में	सर्वे संख्या	क्षेत्र-हेक्टेयर में
11.	110/442	0.3374	111/2	0.3374

[सं. एफ. 14016/7/94-जी.पी.]
अर्धेन्दु सेन, निदेशक

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 22nd May, 1995

S.O. 461(E) :—In the Gazette of India Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 2545 dated 9-2-94 published on 1-10-94 under sub-section (i) of section 3 of the Petroleum and Mineral Pipeline (Acquisition of Right of Users in land) Act, 1962 (50 of 1962) in respect of village Pipariya, Tehsil Gura, Distt. Gura be read as follows :—

As Per Gazette		Be Read as Corrected Below		
Sr. No.	Survey No.	Area in Hectare	Survey No.	Area in Hectare
11.	110/442	0.3374	111/2	0.3374

[No. L-14016/7/94 G.P.]
ARDHENDU SEN, Director

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995